

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

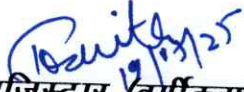
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 166 /2025 दिनांक : 19.05.2025

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./152/2025 दिनांक 17.04.2025 को निरस्त करते हुए श्रीमती लोचन खिड़िया देवल (RJ00936), विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 19.05.2025 से 28.05.2025 तक 10 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 18.05.2025 एवं 29.05.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती देवल की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/105/2015/

दिनांक : 19.05.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 2402 दिनांक 13.05.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती लोचन खिड़िया देवल (RJ00936), विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर।
4. विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जोधपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार